

राजस्थान सरकार
राजस्थान गृह-6 विभाग

समस्त जिलाकलेक्टर,
राजस्थान।

फॉर्म:- २०१९/राज-६/०४/१७

जयपुर, दिनांक:- २५/११/०५

विषय:- ग्रामदानी गाँव की भूमि का आहरी व्यक्तियों द्वारा
कुछ किये जाने के सबैकों।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपके जिले से
सबैकों सभी ग्राम सभायाँ के खिलाड़ी की जावै कराये तथा यह सुनिश्चित
करें कि ग्रामदानी गाँव की भूमि को ग्रामदान एवं के तहत अन्य गाँव के
व्यक्ति को आवंटित नहीं किया जाता है। यदि किसी ग्राम की ग्रामदानी
भूमि किसी अन्य ग्राम के व्यक्ति को आवंटित कर दिया गया है तो उन
भागलाई की जानकारी प्राप्त करनेहरी कराकै तथा की गई कार्यालयी
से इस विभाग को अवगत करावे।

भारदीय

उप शासन सचिव